मनोरंजन, मीडिया और व्यवसाय की भूमिका

काम करने वाले संगठनों और महिलाओं द्वारा उनकी सुरक्षा, दक्षता और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए ड्रेस कोड और आचार संहिता हो सकती है। घूंघट सड़क पर चेहरे और शरीर को ढक सकता है, मगर यह कार्य को प्रतिबंधित करता है।

आरती सिंह।।

सभी महिलाएं ऊर्जा और शक्ति का स्रोत हैं। उनकी जबरदस्त ऊर्जा का उपयोग उत्पादक चौनलों में किया जाना है जिससे जीडीपी, जीएनपी और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो। इसलिए यह अर्थव्यवस्था, समाज और देश के हित में है कि स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, कार्यबल और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो। सार्वजनिक क्षेत्र में विशेषज्ञ महिला सलाहकारों, डॉक्टरों और प्रतिष्ठित महिलाओं द्वारा उनकी ऊर्जा के सर्वोत्तम उपयोग के लिए नीति को तैयार किया जाना है।

मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग की कामकाजी महिलाओं से भी परामर्श किया जाना चाहिए कि उत्पीड़न या शोषण की शिकायतों के बिना राष्ट्रीय आय में पूर्ण भागीदारी कैसे सुनिश्चित की जाए। काम करने वाले संगठनों और महिलाओं द्वारा उनकी सुरक्षा, दक्षता और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए ड्रेस कोड और आचार संहिता हो सकती है। घूंघट सड़क पर चेहरे और शरीर को ढक सकता है, मगर यह कार्य को प्रतिबंधित करता है।

धार्मिक या आध्यात्मिक लोग तनाव और आध्यात्मिक उत्थान, ईश्वर के साथ मिलन के लिए मददगार हो सकते हैं, है, अर्थव्यवस्था के लिए नहीं। हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि धार्मिक व्यक्ति या भगवान का सच्चा भक्त लाभ, धन संचय या विलासिता नहीं चाहेगा। वह धन को जमा करने के बजाय वितरित करेगा। यही कारण है कि भारत अर्थव्यवस्था या राजनीति को धर्म या अध्यात्म से शासित नहीं होने दे सकता। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और अर्थव्यवस्था के लिए इष्टतम परिणाम प्राप्त करने के लिए एक धर्मनिरपेक्ष देश रहेगा।

इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया महिलाओं को सकारात्मक प्रकाश में पेश करके महिलाओं के कल्याण के लिए योजनाओं और महिलाओं के सारगर्भित विचारों के बारे में सूचनात्मक लेख प्रकाशित करके रचनात्मक भूमिका निभा सकता है। कपड़ों या शरीर के अनुचित चित्रण और महिलाओं को नीचा दिखाने वाली टिप्पणियों से बचना चाहिए और एक दंडनीय अपराध होना चाहिए। खेल, फिल्मों और मीडिया को सकारात्मक और पक्की खबरें देनी चाहिए और उन पर गपशप या अफवाहें नहीं बेचनी चाहिए। एथलीटों का ड्रेस कोड सम्मानजनक होना चाहिए। दुकानें बाहर गरिमामय कपड़े प्रदर्शित कर सकती हैं और ऐसे कपड़े डिजाइन कर सकती हैं जो शरीर को ढक सकें और उनकी रक्षा कर सकें। यदि शेल्फ पर सभी कपड़े शरीर को अनुचित रूप से प्रकट कर रहे हैं, गरिमामय नहीं हैं तो लड़कियों के लिए बहुत कम विकल्प बचते हैं।

वास्तविक रूप

धर्म-दर्शन

अशोक वोहरा।

कोई भी विश्वास प्रणाली अर्थ ज्ञान के शरीर पर आधारित है और धार्मिक विश्वास के मामले में, शब्दार्थ ज्ञान का शरीर सिद्धांत है, या अलौकिक एजेंटों और संस्थाओं के बारे में अवधारणाओं का सेट है जो विश्वासियों को वास्तविक रूप में स्वीकार करते हैं। इस सिद्धांत में एक अमूर्त भाषाई सामग्री है, जो सांस्कृतिक रूप से प्रसारित होने के अलावा विभिन्न संस्थागत धर्मों के लिए विशिष्ट है। धार्मिक ज्ञान का एक अन्य स्रोत उन घटनाओं का ज्ञान है जो स्पष्ट रूप से धार्मिक व्यक्तिगत अनुभवों (जैसे प्रार्थना या अनुष्ठान में से आते हैं, लेकिन धर्म से प्रभावित कई सामाजिक और नैतिक घटनाओं से भी। इसका अर्थ यह है कि धार्मिक ज्ञान दोनों स्रोतों द्वारा पोषित है– सिद्धांत और व्यक्तिगत अनुभव। इसके अलावा, धार्मिक मान्यताओं को अपनाने और आवेदन व्यक्ति की भावनाओं और लक्ष्यों से प्रभावित होता है।

संपादकीय

कोई वॉर्निंग नहीं

भारत और पाकिस्तान ने 2005 में एक समझौते पर दस्तखत करके यह तय किया था कि वे समुद्र, जमीन या सतह से सतह पर मार करने वाली किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल के फ्लाइट टेस्ट से पहले एक–दूसरे को सूचित करेंगे। पाकिस्तान का कहना है कि 9 मार्च को उसे ऐसे किसी भी फ्लाइट टेस्ट की कोई सूचना नहीं दी गई। भारतीय अधिकारियों ने भी एयर या मरीन ट्रैफिक को ऐसे किसी लॉन्च को लेकर कोई वॉर्निंग नहीं जारी की थी। हालात कितने खतरनाक होते हैं और इस बार भी कितने खतरनाक हो गए थे, इसका अंदाजा इस बात से मिलता है कि मिसाइल के अपना पूरा रास्ता तय करने तक भारत और पाकिस्तान को प्रतिक्रिया के लिए लगभग 7 मिनट का वक्त मिला। पाकिस्तान का दावा है कि उसने इस पर नजर रखी, लेकिन उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे उड़ाया नहीं, जबकि भारत इसे किसी भी तरह रोक पाने में नाकाम रहा। विशेषज्ञों के मुताबिक ब्रह्मोस जैसी पारंपरिक मिसाइलों में खुद को नष्ट करने का मकैनिज्म नहीं होता। हालांकि पृथ्वी और अग्नि जैसी न्यूक्लियर या स्ट्रैटेजिक मिसाइलों के बारे में कहा जाता है कि उनमें एक 'किल स्विच' भी होता है। दुनिया कंप्यूटर चिप्स संबंधी गड़बड़ियों या गलती से लॉन्च जैसी स्थितियों के कारण बड़े टकरावों से कई मर्तबा बाल–बाल बची है। इसका मतलब यह है कि परमाणु हथियारों से संबंधित हादसे सफलतापूर्वक टाले जा सकते हैं। फिर भी, प्रतिक्रिया जताने के लिए मिलने वाला वक्त इतना कम होता है और दांव पर इतना सारा कुछ लगा होता है कि विशेषज्ञ हमेशा चेताते हैं, कभी भी कोई छोटी सी गलती भी भीषण परमाणु युद्ध का कारण बन सकती है। दुनिया का इतिहास गवाह है कि कई बार ऐसे हालात बन चुके हैं। शुक्र है कि तब न्यूक्लियर हादसे टल गए।

एक वरिष्ठ रक्षा सूत्र ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदारी तय करके सजा तो देनी ही होगी। आखिर यह घटना दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देशों के बीच 'खतरनाक संघर्ष' को जन्म दे सकती थी।

कुछ भी हो सकता था

केनेथ मोहंती।।

नौ मार्च, शाम सात बजे पाकिस्तानी सेना ने भारत के भीतरी क्षेत्र से शुरू हुई कोई 'तेज रफ्तार उड़ती हुई चीज' देखी, जो अचानक पाकिस्तानी क्षेत्र की ओर मुड़ गई। मिसाइल को मार गिराने की कोशिश नहीं हुई, यह पाकिस्तानी सीमा के 120 किलोमीटर अंदर जाकर खुद ही गिरी, जिससे नागरिक संपत्ति को नुकसान हुआ। 11 मार्च को भारत ने कहा, 'यह राहत की बात है कि दुर्घटना में किसी की जान नहीं गई।' दुर्घटना को 'तकनीकी गड़बड़ियों' का परिणाम बताते हुए उसने उस पर गहरा खेद जताया। भारत ने अपनी तरफ से मिसाइल का नाम नहीं बताया, लेकिन विश्लेषकों के मुताबिक यह ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल थी। रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित यह मिसाइल अपनी श्रेणी में सबसे आधुनिक और सबसे तेज मानी जाती है। इससे भी बड़ी बात यह कि मिसाइल परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम है और ज्यादातर पाकिस्तानी शहर इसकी रेंज में आते हैं।

रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि यह मिसाइल ट्रेनिंग और मेनटेनेंस एक्सरसाइज के दौरान उत्तर भारत के एक वायुसेना बेस से दुर्घटनावश चल गई, जहां इंडियन एयरफोर्स के डायरेक्टरेट ऑफ एयर स्टाफ इंस्पेक्शन का ऑडिट चल रहा था। सूत्रों के मुताबिक मिसाइल

उन तमाम 'मकैनिकल और इलेक्ट्रॉनिक लॉक्स' के बावजूद चली, जो ब्रह्मोस मिसाइल में निर्मित हैं और जिन्हें 'संभवतरू दुर्घटनावश बाइपास' कर दिया गया था। एक वरिष्ठ रक्षा सूत्र ने कहा कि इसके लिए जिम्मेदारी तय करके सजा तो देनी ही होगी। आखिर यह घटना दो परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी देशों के बीच 'खतरनाक संघर्ष' को जन्म दे सकती थी। इसकी वजह यह है कि हालांकि मिसाइल में वॉरहेड नहीं था, लेकिन पाकिस्तानी अधिकारियों के पास यह पता करने का कोई तरीका नहीं था। इसके मूवमेंट से उनको इतना ही पता चल सकता था कि यह किस तरह की मिसाइल है। यानी इस बात का पूरा खतरा था कि वे यह मान लेते कि भारत ने उन पर एक न्यूक्लियर हथियार छोड़ा है। फिर भी इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल भी हो सकती थी और उस स्थिति में वह खाली नहीं होती। चूंकि परमाणु हथियारों का मकसद मूलतरू बचाव का इंतजाम करना होता है, इसलिए इन्हें उस स्थिति में रखने की जरूरत होती है कि हमले का पहला संकेत मिलते ही तैनात किया जा सके। भारत की यह नीति भी रही है कि वह पहले एटमी हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। वह हमेशा इन हथियारों का इस्तेमाल बचाव के लिए करेगा। लेकिन भारत के परमाणु हथियारों पर किसका कंट्रोल है और अनजाने में हुए किसी लॉन्च की स्थिति में यहां क्या होगा? इन सवालों पर स्थिति साफ नहीं है।

भारत सन 1998 से बाकायदा एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है और 2003 के एक कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी (सीसीएस) नोट के मुताबिक परमाणु हथियारों को लेकर 'पहले इस्तेमाल न करने' की नीति रखता है। इस तरह देखा जाए तो प्रधानमंत्री की अगुआई वाली एनसीए की पॉलिटिकल काउंसिल ही वह एकमात्र निकाय है, जो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए अधिकृत कर सकती है। यहां भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इसके फैसले एनसीए की एक्जिक्यूटिव काउंसिल की ओर से मुहैया कराए गए इनपुट पर आधारित होते हैं। इस एक्जिक्यूटिव काउंसिल की अगुआई नैशनल सिक्योरिटी अडवाइजर (एनएसए) के हाथों में होती है।

अष्टयोग-5017

	3		4	1		2
4	28		25		36	
	5			6	7	4
	28	5	35	3	39	
3	2		6		5	
	32	3	42	5	32	
1	5			4		3

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों और के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी. सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5016 का हल

6	3	5	7	4	1	2
1	28	3	40	5	31	7
2	1	7	6	3	5	4
7	34	6	31	2	30	3
3	6	2	4	1	7	5
5	30	4	28	6	35	1
4	5	1	3	7	2	6

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

मुसलमानों ने जमकर मचाया उत्पात

मोहन। आप सोचिए कि ये उदारवादी क्या चाहते हैं? जब वो कहते हैं कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों के साथ–साथ उन्हें जीना हराम करने वाले मुसलमानों को भी भारत में शरण दो तो इसके पीछे क्या मानसिकता हो सकती है? जान लीजिए कि सीएए में किसी भारतीय मुसलमानों की नागरिकता की कोई चर्चा ही नहीं है, बल्कि तीन पड़ोसी मुस्लिम बहुल देशों में धर्म के आधार पर प्रताड़ित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने की प्रक्रिया तेज करने का प्रावधान है। वो भी 31 दिसंबर 2014 तक भारत पहुंच गए शरणार्थियों के लिए ही। सीएए में कहीं नहीं कहा गया कि इन तीन देशों या अन्य किसी देश के मुसलमानों को नागरिकता नहीं दी जाएगी। उन्हें सामान्य प्रक्रिया के तहत नागरिकता यूं ही मिलती रहेगी जैसे संविधान के अस्तित्व में आने के बाद से मिल रही है। आदर्श स्थिति तो यह होती कि भारतीय मुसलमानों का सिर शर्मिंदगी से झुके क्योंकि तीनों पड़ोसी देशों में उसी इस्लाम के नाम पर अल्पसंख्यकों का धार्मिक उत्पीड़न किया जा रहा है जिसके वो अनुयायी हैं।